FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

किस्म मुकदमा – इजराय

श्रवण बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

मुकदमा नम्बर 3 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09-06-2025	वकील डिकीदार श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। इस न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 30.04.2025 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण मे किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नही हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
16.09.2025	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रकरण में सम्बन्धित पटवारी हल्का हासपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 593 दिनांक 26.07.2025 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत: इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	आनलाईन राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। ना.सं. 593 दि 26/07/25 द्वारा अमल दरामद किया गया। 27.08.25 पटवारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:18:03 IST
Reason: SelfAttested